



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)

रेलवे रोड़, हरवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124; Email : uttarakhandayurved@gmail.com; Website : www.uau.ac.in;

संख्या :3606 /उ0आ0वि0 / 2022

दिनांक : 23.03.2022

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में स्नातक हेतु नीट यू0जी0-2021 की मेरिट के आधार पर शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परिसरों में राजकीय कोटे एवं निजी क्षेत्र में स्थापित कॉलेजों की सीटों पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से केन्द्रीयत काउंसिलिंग (**Centralized Counselling**) कर विभिन्न काउंसिलिंग चरणों के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। जिस हेतु विश्वविद्यालय स्तर से काउंसिलिंग के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित तिथियों का निर्धारण किया जाता है। जिस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण काउंसिलिंग की रिक्त सीटों को मॉप-अप चरण की काउंसिलिंग से भरे जाने हेतु निम्नतिथियों का निर्धारण किया जाता है:-

मॉप-अप चरण की यू0ए0यू0सी0 यू0जी0- 2021 काउंसिलिंग हेतु समय सारणी:-

<u>Mop-up Round of online Counseling</u>	
Online Registration & Fresh Registration and Fee Submission	29-03-2022 to 02-04-2022
Physical Reporting in Uttarakhand Ayurved University (09:00 AM) and allotment of Seats by Counselling Board	06-04-2022 & 07-04-2022
Last date of joining the allotted college	08-04-2022 to 11-04-2022

1- आयुष स्नातक पाठ्यक्रम (बी0ए0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0) की मॉप-अप चरण काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु नियम/शर्तों:-

- नीट- 2021 में अर्ह अभ्यर्थी जो प्रथम बार पंजीकरण कर रहे हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय चरण चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण ना कराया हो और मॉप-अप एवं आगामी चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नही हुई हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ना की गयी हो और मॉप-अप चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो। तो वे नियमानुसार प्रतिभाग कर सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है किन्तु माप-अप चरण हेतु प्रतिभाग करना चाहते हुए ऐसे अभ्यर्थी को अपने पूर्व में प्रवेशित सीट को त्याग करना होगा इस हेतु वह सम्बंधित परिसर/संस्थान के प्राचार्य को निर्धारित शुल्क देकर **अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)** प्राप्त करना होगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को विश्वविद्यालय को पंजीकरण की तिथि से पूर्व **दिनांक 29.03.2022**) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु सम्बन्धित प्राचार्य का सहयोग अनिवार्य है, किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को पूर्व में प्रवेशित सीट पर कोई **दावा मान्य** नही होगा। यदि विश्वविद्यालय के संज्ञान में ऐसे कोई अभ्यर्थी आता है तो उसका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।

- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित आयुष स्नातक काउंसिलिंग (AACCC) में जिन अभ्यर्थी को अनअर्ह (ineligible) घोषित किया गया वह इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मॉप-अप चरण में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।

2- आन-लाईन माप-अप चरण काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी शुल्क:-

- उपरोक्तानुसार पात्र प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को मॉप अप चरण की काउंसिलिंग में प्रतिभाग/सम्मिलित होने हेतु पूर्व में पंजीकरण अभ्यर्थी को धनराशि रूपया 1000/- (हजार ₹0 मात्र) एवं नये अभ्यर्थी को ₹0 2000/- (दो हजार ₹0 मात्र) नान रिफनडेवल पजीकरण शुल्क के रूप में केवल ऑनलाईन माध्यम से ही जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में वे माप-अप चरण काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।
- जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा सीट आवंटित की जायेगी उन अभ्यर्थियों के द्वारा विश्वविद्यालय को सिक्योरिटी शुल्क के रूप में ₹0 15000/- (पंद्रह हजार ₹0 मात्र) ऑन-लाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके उपरांत ही सम्बंधित अभ्यर्थी को आवंटित पत्र (Allotment letter) प्रदान किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह सिक्योरिटी शुल्क के रूप में ₹0 15000/- (पंद्रह हजार ₹0 मात्र) की व्यवस्था करें।

3- मॉप-अप चरण की काउंसिलिंग हेतु सामान्य दिशा-निर्देश:-

- अभ्यर्थियों को मॉप-अप चरण की काउंसिलिंग हेतु ऑन-लाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को सीट आवंटन किया जायेगा।
- सीट आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मैन्यूल होगी जिसमें अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होना होगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना होगा। केवल उपस्थित अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किया जायेगा।
- सीट आवंटन से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को एक प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा जिसको अभ्यर्थी के द्वारा भरा जायेगा। अभ्यर्थी अपने सम्पूर्ण मूल अभिलेख (information brochure point no 7.4.11) एवं छायाप्रति (Photo copy), 05 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लाना अनिवार्य होगा।
- राज्य कोटे की सीट परिवर्तन/ Seat Conversion मॉप-अप चरण में होगी। मॉप-अप चरण काउंसिलिंग में राज्य कोटे की सीटों का परिवर्तन अखिल भारतीय कोटों की सीटों में नहीं होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है वह मॉप-अप चरण की काउंसिलिंग में अंत तक बने रहें।

काउंसिलिंग स्थल:- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रेलवे रोड, हर्वाला, देहरादून।

4- अन्य सामान्य नियम/शर्तें

- विस्तृत जानकारी हेतु UAUCUG- 2021 information brochure का अध्ययन भली-भांति कर लें।
- काउंसिलिंग की प्रक्रिया, समय-सारणी, अद्यतन सीट मेट्रिक्स, एवं काउंसिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट uau.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड की जा रही है एवं भविष्य में भी काउंसिलिंग संबंधी प्रत्येक अद्यतन जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।